



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05012023-241705
CG-DL-E-05012023-241705

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42]
No. 42]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 5, 2023/पौष 15, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 5, 2023/PAUSHA 15, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2023

का.आ. 45(अ).—विधिविरुद्ध-क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) का अधिनियमन व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध-क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण और आतंकवादी क्रियाकलापों से निपटने के लिए और तत्संसक्त विषयों का उपबंध करने के लिए किया गया है ;

और, उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ड) के अनुसार 'आतंकवादी संगठन' से उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध कोई संगठन या इस प्रकार सूचीबद्ध किसी संगठन के रूप में उसके नाम से कार्य करने वाला कोई संगठन अभिप्रेत है;

और, उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में ऐसे आतंकवादी संगठनों की सूची अंतर्विष्ट है;

और, 'द रेजिस्टेंस फ्रंट', लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी आउटफिट के रूप में वर्ष 2019 में अस्तित्व में आया, जो कि उक्त अधिनियम के अधीन पहली अनुसूची के क्रम सं. 5 पर सूचीबद्ध एक निषिद्ध आतंकवादी संगठन है ;

और, 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' आतंकवादी क्रियाकलापों को आगे बढ़ाने के लिए ऑनलाइन माध्यम से युवाओं की भर्ती कर रहा है;

और, 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' आतंकवादी क्रियाकलापों पर प्रोपेगेंडा करने, आतंकवादियों की भर्ती करने, पाकिस्तान से जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ और हथियारों तथा मादक पदार्थों की तस्करी में संलग्न रहा है ;

और, 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' भारतीय राज्य के विरुद्ध आतंकवादी समूहों में सम्मिलित होने के लिए जम्मू-कश्मीर के लोगों को उकसाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर मनोवैज्ञानिक परिचालनों में संलग्न है ;

और, शेख सज्जाद गुल, 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' का कमांडर है और उसे उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची के अधीन आतंकवादी के रूप में अभिहित किया गया है ;

और, 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' के क्रियाकलाप भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए घातक हैं;

और, 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' के सदस्यों/सहयोगियों के विरुद्ध सुरक्षा बल कार्मिकों तथा जम्मू-कश्मीर के निर्दोष नागरिकों की हत्या करने की योजना बनाने, निषिद्ध आतंकवादी संगठन का सहयोग करने के लिए हथियारों का समन्वय और परिवहन करने, सुरक्षा बलों पर आतंकवादी हमला करने, निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करने, आदि से संबंधित बड़ी संख्या में मामले पंजीकृत किए गए हैं;

और, केंद्रीय सरकार का यह विश्वास है कि 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' आतंकवाद में संलग्न है और इसने भारत में आतंकवाद के अनेक कृत्यों को किया है और उनमें भाग लिया है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, विधिविरुद्ध-क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में क्रम सं. 5 में, "पासवान-ए-अहले हदीस", शब्दों के पश्चात् "द रेजिस्टेंस फ्रंट और इसके सभी रूप तथा फ्रंट संगठन" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[फा.सं. 11034/13/2022/सीटी-1]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पण:- विधिविरुद्ध-क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की पहली अनुसूची का अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ.1806(अ), तारीख 23 मई, 2019 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2023

S.O. 45(E).—whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, as per clause (m) of sub-section (1) of section 2 of the said Act, 'terrorist organisation' means an organisation listed in the First Schedule to the said Act or an organisation operating under the same name as an organisation so listed;

And whereas, the First Schedule to the said Act contains the list of such terrorist organisations;

And whereas, 'The Resistance Front' came into existence in the year 2019 as a proxy outfit of Lashkar-E-Taiba, a proscribed terrorist organisation listed at serial number 5 of the First Schedule under the said Act;

And whereas, the ‘The Resistance Front’ is recruiting youth through online medium for furtherance of terrorist activities;

And whereas, the ‘The Resistance Front’ has been involved in carrying out propaganda on terror activities, recruitment of terrorists, infiltration of terrorists and smuggling of weapons and narcotics from Pakistan into Jammu and Kashmir;

And whereas, the ‘The Resistance Front’ is involved in psychological operations on social media platforms for inciting people of Jammu and Kashmir to join terrorist outfits against Indian State;

And whereas, Sheikh Sajjad Gul is a Commander of ‘The Resistance Front’ and has been designated as a terrorist under the fourth schedule of the said Act;

And whereas, the activities of ‘The Resistance Front’ are detrimental for the national security and sovereignty of India;

And whereas, a large number of cases have been registered against the members/associates of ‘The Resistance Front’ relating to planning of killings of Security Force personnel and innocent civilians of Jammu and Kashmir, co-coordinating and transporting weapons to support proscribed terrorist organisation, terror attack on security forces, killing of innocent persons, etc.;

And whereas, the Central Government believes that the ‘The Resistance Front’ is involved in terrorism and it has committed and participated in various acts of terrorism in India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, namely:-

In the First Schedule to the said Act, in serial number 5, after the words “Pasban-E-Ahle Hadis”, the words “/The Resistance Front and all its manifestations and front Organisations” shall be inserted.

[F.No. 11034/13/2022/CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note: - The First Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended vide the notification number S.O. 1806(E), dated the 23rd May, 2019.